(3)

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़।

लगान धार्य वाद सं0–26/2023–24

–: आदेश :–

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–1131/रा0, दिनांक–11.09.2023 द्वारा आवेदक–श्री सोमनाथ दूबे, पिता–स्व0 गुनेन्द्र मोहन दूबे, सा0–राजापाड़ा, पाकुड़, अंचल पाकुड़ जिला–पाकुड़ के नाम मौजा–पाकुड़ नं0–128, जमावंदी सं0–553, दाग नं0–892 रकवा–00बी0–11क0–10धूर, दाग नं0–895 रकवा–03बी0–01क0–03धूर तथा जमावंदी नं0–497/6 के दाग सं0–895/2692, रकवा–00बी0–01क0–03धूर भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रपत्र "एम0" सहित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन एवं प्रपत्र एम0 के अनुसार मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमावंदी नं0–553, दाग नं0–892 रकवा–00बी0–11क0–10धूर दाग नं0–895 रकवा–00बी0–03क0–01धूर तथा जमावंदी नं0– 497/6 के दाग सं0–895/2692, रकवा–00बी0–00क0–03धूर भूमि सर्वे खतियान में प्रमथ नाथ दूबे, पिता–तारकनाथ दूबे के नाम से दर्ज है। आवेदक–सोमनाथ दूबे, पिता–गुनेन्द्र मोहन दूबे, पाकुड़ को विषयगत भूमि आवेदक के पिता–गुनेन्द्र मोहन दूबे, जिन्हें अनिबंधित बंटननामा दिनांक–05.05.1962 के माध्यम से उक्त भूमि प्राप्त है से उत्तराधिकार स्वरूप भूमि प्राप्त है। आवेदक के पिता को दाग सं0–892, रकवा–00बी0–06क0–10धूर, दाग सं0–895 में रकवा–00बी0–03क0–01धूर एवं दाग सं0–895/2692 में रकवा 00बी0–00क0–03धूर भूमि प्राप्त है। आवेदक सोमनाथ दूबे वर्णित बंटननामा के प्रथम पक्ष–गुनेन्द्र मोहन दूबे के पुत्र है, जिन्हें उत्तराधिकार स्वरूप दाग सं0–892, रकवा–00बी0–06क0–10धूर, दाग सं0–895 में रकवा–00बी0–03क0–01धूर एवं दाग सं0–895/2692 में रकवा 00बी0–00क0–03धूर भूमि प्राप्त है। आवेदित दाग के भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदित दाग का खतियान लगान रहित है। राजस्व वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए आवेदित भूमि का वार्षिक लगान निर्धारण करने की अनुशंसा की गई है।

इस कार्यालय द्वारा 16 आना रैयत मौजा–पाकुड़ नं0–128 को नोटिस

निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16 आना रैयत से ना...
प्राप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्व आय में वृद्धि के उद्धेश्य से आवेदक–सोमनाथ दूबे, पिता–स्व0 गुनेन्द्र नाथ दूबे,सा0–राजापाड़ा, पाकुड़ के नाम से मौजा–पाकुड़ नं0–128 के दाग नं0–892, दाग नं0–895 एवं दाग नं0–895/2692 में कुल रकवा–00बी0–09क0–14धूर भूमि का लगान धार्य 5.00 (पाँच) रूपये वार्षिक अलावे सेस के दर से करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/09/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

13/09/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.23 16:28:41 +05:30
Location: 10.93.53.10